II-157
C.J

Witness No. 05 for अभियोजन साक्षी Deposition taken the 02 july Day of 2018 Witness's apparent age 23 Years.

States of affirmation शपथपूर्वक My name is रामाधार साहू.

W/ of स्व. धनीराम साहू occupation मजदूरी.

address वार्ड नंबर 10 ऊपरपारा, थाना– अभनपुर, जिला– रायपुर (छ.ग.)

1/ मैं अदालत उपस्थित आरोपी विजय यादव को जानता हूॅ।

2/ मैं जगन्नाथ चक्रधारी कें ईट्ठाभट्ठा में काम करता हूॅ। आरोपी विजय यादव भी उसी के यहॉ मजदूरी तथा ट्रेक्टर चलाने का काम करता था, काम में हम लोग एकसाथ आना–जाना करते थे।

3/ आज से आठ–नौ माह पहले घटना दिनांक को मैं और विजय एक साथ सुबह साढ़े छः बजे ईट्ठा भट्ठी में काम करने के लिए गये थे, लगभग 09:45 बजे ईट्ठाभट्ठी से काम करके वापस उपरवारा आये थे, मैं लगभग साढ़े दस बजे खाना खाकर आरोपी के पास काम के जाने के लिए गया था, तब वह मेरे साथ नहीं गया और आ रहा हूॅ कहकर बोल दिया, तब मैं अकेले काम में चला गया, काम से वापस लगभग तीन–चार बजे घर आया तो पता चला कि आरोपी की पत्नि रमायादव की हत्या हो गई है, घटनास्थल पर पुलिस वाले आये थे, पुलिस वाले कुछ नहीं बनाये थे, गवाह को स्थल पंचनामा प्र.पी.04 दिखाकर पूछे जाने पर ब से ब भाग पर अपना दस्तखत होने से इंकार किया, घटनास्थल पर पटवारी आये थे और घटनास्थल का नजरी नक्शा मेरे समक्ष तैयार किये थे जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है, आरोपी पत्नि के उपर कुछ करता था इसकी जानकारी मुझे नहीं है, घटना के संबंध में पूछताछ कर पुलिस वाले मेरा बयान लिये थे।

<u>नोट :–</u> इस स्तर पर अपर लोक अभियोजक व्दारा साक्षी को अपने पुलिस कथन का आंशिक समर्थन नही करना व्यक्त करते हुए उससे प्रति–परीक्षण में पूछे जाने वाले जैसे प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गयी। साक्षी के पुलिस कथन को देखते हुए उक्त अनुमति दी जाती है।

4/ यह कहना सही है कि घटना दिनांक को पुलिस वाले आरोपी के घर में आये थे और मृतिका रमा यादव के घर में लाश पड़े होनें की स्थिति के संबंध में पंचनामा प्र.पी.04 तैयार किये थे तब ब से ब भाग पर मैं हस्ताक्षर किया था। यह कहना सही है कि मुझे पता चला था कि विजय यादव अपनी पत्नि रमा के चरित्र पर शक करता था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इसीकारण आरोपी और रमा के बीच लड़ाई–झगड़ा होते थे।

<u>प्रतिपरीक्षण आरोपी विजय यादव द्वारा श्री एल.के.मिश्रा अधिवक्ता</u>

5/ यह कहना सही है कि मैं और विजय जिसके यहॉ काम करते हैं उसके यहॉ बहुत सारी गाडियॉ

है और बहुत से मजदूर काम करते हैं। मैं विजय के द्वारा चलाई जा रही गाड़ी में मजदूरी नहीं करता था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि खाना–खाने आने के बाद विजय को हमारे मालिक ने कहॉ भेजा था, स्वतः कहा कि हम लोग खाना खाने एक साथ आये थे।

प्रश्न :– तुम जब खाना खाने के बाद अपने काम में पहुॅचे तो आरोपी भी तुम्हारे पीछे–पीछे काम में आ गया था ?

उत्तर– मैंने आरोपी को नहीं देखा था।

6/– मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि विजय को हमारे मालिक ने घटना के दिन माटी भरने के लिए भेजा था। यह कहना सही है कि खाना खाने के लिए जब विजय घर आया उसके बाद वह कहॉ गया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि विजय अपने परिवार में माता–पिता के साथ रहता है। यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मुझसे पूछताछ नहीं किये थे। यह कहना सही है कि पुलिस वाले मुझसे कागज में हस्ताक्षर करवाये थे। यह कहना सही है कि किस कागज में क्या लिखे थे इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

गवाह को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया।

सही/–
(जितेन्द्र कुमार जैन)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/–
(जितेन्द्र कुमार जैन)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ.ग.)